फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री सलीम खान पुत्र श्री अमीर खान
जाति मुसलमान
निवासी अम्बिका होटल के पीछे तलहटी आबूरोड
जिला सिरोही

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 57 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 11.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि नगरपालिका क्षेत्र माउन्ट आबू में रिवरेज कार्य के लिए 01 जनवरी 2021 से 10 जून 2021 तक प्रतिदिन कितने टोकन बजरी परिवहन करने हेतु परियोजना अधिकारी रूडीप माउन्ट आबू को या उनकी अनुशंषा पर अधिकृत ठेकेदार को जारी किए गए एवं जारी टोकन किस वाहन डम्पर या ट्रेक्टर को जारी किए गए, से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 11.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि नगरपालिका क्षेत्र माउन्ट आबू में रिवरेज कार्य के लिए 01 जनवरी 2021 से 10 जून 2021 तक प्रतिदिन कितने टोकन बजरी परिवहन करने हेतु परियोजना अधिकारी रूडीप माउन्ट आबू को या उनकी अनुशंषा पर अधिकृत ठेकेदार को जारी किए गए एवं जारी टोकन किस वाहन डम्पर या ट्रेक्टर को जारी किए गए, से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 1045 दिनांक 12.07.2021 द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया कि उक्त सूचना आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 11 के अनुसार अन्य पक्षकार से संबंधित होने से अन्य पक्षकार अधिशाषी अभियं[illegible] आबूपर्वत द्वारा सूचना देने में असहमति जाहिर की है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:37:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner